रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 2014/श्रावण 2, 1936
No. 383] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 2014/SHRAVANA 2, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 533 (अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, ऐसे किन्ही आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा;

3. इन प्रारूप नियमों पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे;

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) सिवाय इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के ये नियम उनके राजपत्र में अंतिम तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है)—नियम 47 में उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) 1 अक्तूबर, 2014 से ही प्रत्येक यान निर्माता प्ररूप 20, प्ररूप 22 और प्ररूप 22क के अनुसार यान के ब्यौरों को http://www.vahan.nic.in/makermodel पोर्टल पर अपलोड करेगा । " ।

3. मूल नियमों के नियम 49 के नियम 49 के उप-नियम (1) के रूप में सख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किसी यान के जिसके अंतर्गत कृषि ट्रेक्टर, पावर टिलर और संनिर्माण उपस्कर यान भी हैं के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् यान के रजिस्ट्रीकरण ब्यौरों को http://www.vahan.nic.in/makermodel पोर्टल पर अपलोड करेगा:

परंतु मोटर यानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए पोर्टल के माध्यम से ऐसी आंकड़ा प्रविष्टि प्रसंस्करण 1 जनवरी, 2015 से प्रभावी होगी: —

परंतु यह और कि राज्य सरकारें विद्यमान रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया की पद्धति को 1 अक्तूबर, 2015 तक जारी रख सकेंगी । "

4. मूल नियमों के नियम 126ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"126ग इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से ही, नियम 126 में विनिर्दिष्ट जांच अभिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार यान किस्म अनुमोदन के संबंध में सूचना को http://www.vahan.nic.in/makermodel पोर्टल पर अपलोड करेंगी:

परंतु जांच अभिकरण 1 जनवरी, 2013 से इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख तक से पहले के डाटा की प्रविष्टी भी करेंगी । " ।

[फा. सं. आरटी-11036/48/2014-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 590(अ), तारीख 2 जून,1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 431(अ), तारीख 4 जुलाई, 2014 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2014

G.S.R. 533(E). —The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise the powers conferred by Section 110 the Motor Vehicles Act, 1988 (41 and 58 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of forty five days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government.

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2014.

(2) Save as otherwise specifically provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules in rule 47, after sub-rule (2) , the following sub-rule shall be inserted, namely: —

"(3) On and from the 1st October, 2014, every vehicle manufacturer shall, in accordance with Form 20, Form 22 and Form 22-A, upload the vehicle details in the portal http://www.vahan.nic.in/makermodel.".

3. Rule 49 of the principal rules shall be numbered as sub-rule (1) of rule 49 and after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely: —

"(2) Every registering authority shall after registration of a vehicle, including agricultural tractor, power tiller and construction equipment vehicles, upload the registration details of the vehicle on the portal http://www.vahan.nic.in/makermodel:

Provided that such data entry processing through the portal for registration of motor vehicles shall be effective from the 1st January, 2015:

Provided further that the State Governments may continue the practice of existing registration procedure till the 1st October, 2015.".

4. After rule 126 B of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely, —

"126C. On and from the date of final publication of this notification, the testing agencies specified in rule 126 shall, in accordance with the procedure laid down by the Central Government, upload information regarding vehicle type approval on the portal http://www.vahan.nic.in/makermodel :

Provided that the test agencies shall also enter the legacy data of type approvals for the period from the 1st January, 2013 to till the date of final publication of this notification.".

[F. No. RT-11036/48/2014-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. 431(E) dated the 4th July, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.